

केन्द्र सरकार ने आनन फानन में युनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को भंग करने का निर्णय लिया

अब इसकी जगह हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी की नियुक्ति की जाएगी

-रमण स्वामी-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 27 जून। सवाल यह नहीं है कि भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था को सुधार की जरूरत है अथवा नहीं। इस बात से तो हर व्यक्ति सहमत है कि भारत के विश्वविद्यालयों तथा उच्च शैक्षणिक संस्थानों के स्तर को ऊँचा उठाने के लिये आमूलचूल सुधार की जरूरत है।

सवाल यह है कि क्या यह उचित है कि कोई कमजोर सरकार, अपने अंतिम चन्द महीनों में, उच्च शिक्षा में बनावटी तौर पर आमूलचूल एवं दूरगामी परिवर्तन लाने की कोशिश करे? इस प्रश्न का उत्तर एक जोरदार “नहीं” के रूप ही होगा।

लेकिन विडम्बना देखिये, मोदी सरकार यही करने की कोशिश कर रही है। बुधवार को, एक स्तब्धकारी चेष्टा के

- केन्द्र सरकार ने अपने इस फैसले पर मात्र दस दिन के भीतर ही शिक्षाविदों व जनता से सुझाव मांगे हैं।
- सरकार ने यू.जी.सी.एक्ट (1956) को रद्द करने का फैसला किया है, जिसके तहत गठित यू.जी.सी. सभी विश्वविद्यालयों, उच्च शिक्षण संस्थाओं के लिए वित्तीय प्रबंध तय करता था व नियम बनाता था।
- सरकार ने यह फैसला जल्दबाजी में किया है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि 18 जुलाई को शुरू हो रहे मानसून सत्र में कम से कम लोकसभा में नया कानून, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया एक्ट 2018, अवश्य पारित हो जाए।

अन्तर्गत, कैबिनेट के एक क्रूर निर्णय के जरिये, विश्वविद्यालय अनुदान को समाप्त कर दिया गया है। उच्च शिक्षण संस्थानों को अनुदान देने की पूरी व्यवस्था में जबर्दस्त परिवर्तन कर दिये गये हैं। तथाकथित ‘शैक्षिक क्रांति’ के नाम पर देश के ऊपर अनेक नई अवधारणायें, नियम तथा शर्तें थोप दी

गई हैं। यह पूरी कवायद बहुत तेज गति से, आनन-फानन में की जा रही है। शिक्षाविदों तथा आम जनता को अपने सुझाव देने के लिये सिर्फ 10 दिन का समय दिया गया है। सुझाव देने की अंतिम तिथि 7 जुलाई तय कर दी गई है। बुधवार को लिये गये निर्णय का उद्देश्य 1956 के यूजीसी एक्ट को पूरी

तरह रद्द कर देना तथा इस प्रकार वर्तमान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को व्यर्थ एवं अप्रासंगिक करार दे देना है। इसके स्थान पर, विश्वविद्यालयों तथा अन्य शिक्षण संस्थानों को अनुदान देने के लिये पूरी तरह से एक एजेंसी स्थापित की जायेगी। इस एजेंसी को ‘हायर एजुकेशन

फंडिंग एजेंसी’ या एच ई एफ ए नाम दिया जायेगा। यह एजेंसी पूरी तरह तथा सीधे केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नियंत्रण में रहेगी। इसका प्रभावी रूप से अर्थ यह होगा कि इसका सैद्धांतिक रूप से प्रभारी तो मानव संसाधन विकास मंत्री होगा। लेकिन अनुदान की इस थैली को खोलने-बंद करने की डोरी पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) का नियंत्रण रहेगा, जो भाजपा को जन्म देने वाला संगठन है। शिक्षा-व्यवस्था को, हिन्दू भारत के अपने मूल विचार के अनुरूप ढालने के प्रयास में अग्रणी भूमिका आर एस एस की ही रही है।

जहाँ उच्च शिक्षा संस्थानों को दिया जाने वाले पूरे पैसे की कुंजी वर्तमान सरकार के हाथों में होगी, वहीं यूजीसी जैसी इस एजेंसी के पास सिर्फ ‘शैक्षणिक (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

केन्द्र सरकार ने आनन...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

नियामक निकाय” (एकेडेमिक रेग्युलेटरी बोर्ड) का दर्जा रहेगा।

यह सब कई कारणों से बेहद जल्दबाजी में किया गया है। इनमें प्रमुख तथ्य यह है कि संसद का मानसून सत्र 18 जुलाई से शुरू हो रहा है और प्रधानमंत्री नया कानून कम से कम लोकसभा में तो जल्द से जल्द पारित हो जाए। हालांकि विधेयक प्रारूप में स्पष्ट है कि एच ई एफ ए उस तारीख से क्रियान्वित होगा जिसे केन्द्र सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा निश्चित करेगी।

अधिनियम का औपचारिक तौर पर नाम है “हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इण्डिया एक्ट, 2018 (रीपल ऑफ युनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक्ट, 1956)” यह सभी उच्च शिक्षण संस्थानों, डीम्ड युनिवर्सिटी पर लागू होगा।

उच्च शिक्षा का अधिग्रहण करने वाले इस नए कानून को लुभावना रूप देने के लिए “स्वायत्तता” शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। जबसे भाजपा सरकार सत्ता में आई है तब से ही यूजीसी के अधिकार कम करने व इसके वित्तीय अधिकार हड़पने की कवायद

शुरू हो गई थी पर शुरुआती तीन सालों में इस पर कदम पीछे ले लिए गए थे।

आर.एस.एस. के दबाव में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2017-18 के बजट भाषण में एच ई एफ ए का उल्लेख किया था। संघ के शिक्षाविदों तथा नीति आयोग के पूर्व प्रमुख अरविंद पनगड़िया की लगातार शिकायतों के बाद भी इसमें देरी की गई। पूर्व मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति इरानी कथित रूप से इस कानून को तत्परता से आगे नहीं बढ़ा पाई क्योंकि यूजीसी के अधिकार कम करने के लिए यूजीसी एक्ट में किए जाने वाले संशोधन बेहद जटिल थे।

तथापि, अब प्रकाश जावडेकर के आने के बाद इस मुद्दे को कानून के तहत आगे बढ़ाने पर त्वरित कार्यवाही हो रही है। प्रधानमंत्री के कार्यालय ने कथित रूप से ये निर्देश जाँ किये थे कि इसमें और अधिक देरी बर्दाश्त नहीं की जायेगी।

विपक्षी दल अगले लोकसभा चुनावों में संभावित संयुक्त मोर्चा गठित करने के संकेत दे रहे हैं, ऐसे में आर.एस.एस. के सोच में इस बात को लेकर कुछ अनिश्चितता आ गई है कि, भाजपा सत्ता में वापस आयेगी या नहीं। अतः एच.ई.एफ.ए. व्यवस्था लागू

करने का दबाव बढ़ाया गया है।

बुधवार को हुए कैबिनेट निर्णय ने मोदी सरकार का रास्ता साफ कर दिया है यूजीसी अधिनियम को रद्द करने के लिए। अब यूजीसी के पास संस्थान को फंड देने का अधिकार नहीं होगा। यह सिर्फ नियामक संस्था के रूप में शैक्षणिक मुद्दे ही देख पाएगी।

यूजीसी के कुछ अधिकार नेशनल एसेसमेंट एण्ड एक्रिडेशन काउंसिल को जा सकते हैं। शिक्षा हलकों में सरकार के इरादों पर गंभीर संदेह देखा जा रहा है। आशंका व्यक्त की जा रही है कि नई काउंसिल में नियुक्तियाँ विचारधारा के आधार पर पक्षपातपूर्ण हो सकती हैं। क्योंकि यह नई काउंसिल ही तय करेगी कि किस उच्च शिक्षा संस्थान को फंड दिया जाए।

आशंका है कि एच ई एफ ए में केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अत्यधिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से सरकार फंडिंग संस्थानों को नियंत्रित करेगी।

अगर नेशन एसेसमेंट एंड एक्रिडेशन काउंसिल में हिंदुत्व समर्थकों की भरमार हो गई तो सरकार का स्वायत्तता का आश्वासन सिर्फ नजर का धोखा होगा।